न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 20/2021

वादीगण :—	**बनाम**	**प्रतिवादीगण:—**
1. इस्माईल खां 2. इब्राहिम खां 3. बाबु खां पिसरान उजीर खां जातिगण तेली मुसलमान निवासीगण रामासनी सान्दवान तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत। 2. शिवदतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति चारण निवासी रामासनी सान्दवान हाल निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत 3. रहमती पत्नी सुब्बान खां 4. मोहम्मद खां पुत्र सुब्बान खां जातियान तेली मुसलमान निवासीगण रामासनी सान्दवान तह0 सोजत 5. सदीक खां 6. शकुर खां 7. छैल खां 8. सतार खां पिसरान मिश्रु खां जातियान तेली मुसलमान निवासीगण रामासनी सान्दवान तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति:—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।
3. श्री देवेन्द्र व्यास, अधिवक्ता, प्रति0 सं0 2 से 4 व 7 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 22/03/2022

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रामासनी सांदवान, पटवार हल्का थरासनी भू अभिलेख क्षेत्र खारिया नींव तहसील सोजत में वर्तमान खाता नंबर 308 खसरा नंबर 418 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.9200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 421 रकबा 0.7600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.2800 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 5 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता/पति की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त आराजीयात में वादीगण के पिता उजीर खां का नाम बतौर खातेदार इन्द्राजसुदा है। जो राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध रूप से वसीर दर्ज सुदा है। वर्णित उक्त वादस्थ के वर्तमान खाता संख्या 308 खसरा नंबर 418, खसरा नंबर 419, खसरा नंबर 420 तथा खसरा नंबर 421 की कृषि भूमि पुराने खसरा नंबर 305 राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2010 से 2019 से पूर्व वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 3 के दादी ससुर एवं प्रतिवादी संख्या 4 के दादा, प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के दादा स्व0 मगा खां की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित थी। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक, पुश्तैनी, विरासत में प्राप्त कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पूर्वज मगा खां के स्वर्गवास होने के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में घीसाया, मिसरीया, वजरीया एवं सुबाना पिसरान मगा प्रथम सैटलमेन्ट सम्वत् 2010 से 2019 के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई। वक्त इन्द्राज सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वादीगण के पिता उजीर खां का नाम राजस्व रेकर्ड में बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये दस्तावेजी नाम इन्द्राज न कर, घर के लाड प्यार से पुकारा एवं पहचाने जाने वाला नाम वसीर इन्द्राज कर दिया गया। जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक एवं दस्तावेजी सही नाम उजीर खां पुत्र मगा इन्द्राज किया जाना चाहिये था। तब से उक्त वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रथम सैटलमेन्ट के वक्त उजीर के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

...सीर दर्ज होने की त्रुटि राजस्व रेकर्ड में लगातार आज दिनांक तक दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजीयात कृषि भूमि के नये खसरा नंबर 418, 419, 420, 421 के द्वितीय सैटलमेन्ट पुराने खसरा नंबर 305, 305 मिन से मिलकर बने है जो कि प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के खसरा मिलान एवं जमाबंदी से बखुबी स्पष्ट है। वादीगण की वंशावली का वंशवृक्ष सृजरा के अनुसार मगा जो फौत हो चुके है के पुत्रान कमशः घीसीया, मिसरीया, वजीर उर्फ उजीर एवं सुबान खां हुए। मिसरीया के पुत्रान कमशः सदीक खां, शकुर खां, छैल खां एवं सतार खां है, वजीर उर्फ उजीर के वारिसान में माडी (पत्नी) जो फौत हो चुकी है, इस्माईल खां, इब्राहिम खां एवं बाबु खां (पुत्र) है, सुबान खां के वारिसान में रहमती (पत्नी), मोहम्मद खां, सुगरी एवं रहमत बानो हुए। उक्त वंशावली अनुसार वादीगण के पूर्वज दादा मगा के उतराधिकारी वारिसान में चार पुत्र घीसीया, मिसरिया, उजीर एवं सुबान हुए जिसमें से मिसरिया, उजीर, सुबान खां का इंतकाल हो चुका हैं। मिसरिया के उतराधिकारी वारिसान में चार पुत्र प्रतिवादी संख्या 5 से 8 है जो राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदार इन्द्राजसुदा है। इसी प्रकार सुबानखां का इंतकाल हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पत्नी एवं पुत्र है तथा दो अन्य पुत्रीयां सुगरी एवं रहमत बानो है। जिन्होने उक्त कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा अपना माता एवं भाई के हक में मौखिक रूप से त्याग दिया है तथा ससुराल में ही निवास कर रही है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को ही संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा वादीगण के पिता उजीर खां का दिनांक 26/01/2009 को इंतकाल हो चुका है तथा उनकी पत्नी माडी का भी इंतकाल हो चुका है। जिनके उतराधिकारी वारिसान वादीगण ही है। वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि प्रथम सैटलमेन्ट वर्ष 2010 से 2019 से पूर्व उक्त कृषि भूमि एकमात्र भाग मगा की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। उक्त सैटलमेन्ट सम्वत् 2010 से 2019 से पूर्व मगा का इंतकाल होने से राजस्व रेकर्ड में मगा के उतराधिकारी वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। वक्त इन्द्राज सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वादीगण के पिता उजीर खां का नाम वजीरा एवं तत्पश्चात वसीर विधि विरूद्ध रूप से इन्द्राज कर दिया गया। जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम उजीर खां ही था तथा वादीगण के पिता उजीर खां को घर में लाड प्यार से वजीरा नाम से भी जानते व पुकारते थे। लेकिन दस्तावेजी नाम उजीर खां ही था। जो कि वादीगण के पिता का मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत मेव में अकाल राहत कार्य का रोजगार कार्ड संवत् 2059 का सरपंच द्वारा रोजगार कार्ड एवं परिवार कार्ड, चिकित्सा ईलाज दस्तावेजात, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड चाड़वास के द्वारा जारी सहकारी किसान कार्ड व दी पाली सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा चाड़वास की ऋण पुस्तिका एवं वादीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वादीगण की माता माडी देवी के मतदाता पहचान पत्र व वादीगण के पिता की अन्य खातेदारी कृषि भूमि तथा ग्राम पंचायत मेव द्वारा जारी पहचान पत्र व जिला कोषाधिकारी पाली द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के पी0पी0ओ0 नंबर 10913 में भी उजीर खां ही नाम इन्द्राज सुदा चला आया है। जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीगण के पिता का वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम उजीर खां ही था। जिसको कि सैटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना दस्तावेज का अवलोकन किये उजीर के स्थान पर वजीर एवं वजीरा तथा वसीर दर्ज होने की जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सके। वादीगण के पिता का वादस्थ आराजीयात पर अपने हक हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग अपने जीवनकाल तक चला आया है तथा उनके स्वर्गवास एवं जीवनकाल से वादीगण का वादस्थ कृषि भूमि पर आज दिनांक तक बिना किसी बाधा अड़चन के शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग चला अया है। राजस्व रेकर्ड में आज भी वादीगण के पिता का नाम वसीर विधि विरूद्ध दर्ज चला आ रहा है तथा वादीगण भी निरक्षर, अनपढ़ होने से उक्त सम्बन्ध में अपने पिता के इंतकाल पश्चात् कर्यवाही नहीं करवा सके। वादीगण द्वारा सितम्बर 2020 में अपने पिता के इंतकाल पश्चात फौतेदगी नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का के पास गये तथा वहां फौतेदगी नामान्तकरण इन्द्राज करने हेतु संपर्क किया तो सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का राजस्व रेकर्ड में उजीर के स्थान पर वसीर दर्ज होने की जानकारी दी। उक्त त्रुटि संशोधन के अभाव में फौतेदगी नामान्तकरण की कार्यवाही करने से इंकार कर दिया गया। जिस पर वादीगण द्वारा उक्त तमाम कृषि भूमि के सैटलमेन्ट पूर्व की जमाबंदी एवं अन्य खसरा मिलान व राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि वक्त सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वक्त इन्द्राज राजस्व रेकर्ड

उप ... अधिकारी
... (जिला-पाली) राज.

वादीगण के पिता उजीर खां के स्थान पर बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये त्रुटिवश वजीरा एवं तत्पश्चात वसीर दर्ज कर दिया जो कि गलत है। जबकि मगा खां की वंशावली में उजीर एवं वजीरा एवं वसीर सभी नाम एक ही व्यक्ति के है अर्थात् उजीर एवं वसीर दोनो ही एक ही व्यक्ति वादीगण के पिता ही है तथा मगा खां के उजीर खां एवं वसीर एक ही पुत्र है तथा मगा के उतराधिकारी वारिसान में उजीर एवं वसीर अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीगण के पिता का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम उजीर ही है। इसलिये वादीगण वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वक्त इन्द्राज उजीर के स्थान पर वजीरा एवं वसीर त्रुटिवश दर्ज को रेकर्ड दुरूस्ती करवा कर उजीर के हक हिस्से की कृषि भूमि में वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 8 उक्त वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि के खाता संख्या 308 के संयुक्त खातेदारान व संयुक्त खातेदारान के वैध उतराधिकारी वारिसान होने से वाद पत्र में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाये गये है। लेकिन उनके विधिक वादीगण का कोई अनुतोष नही है तथा उक्त वादीगण के रेकर्ड दुरूस्त होने एवं अपने नाम की खातेदारी दर्ज होने से भी प्रतिवादीगण के हक हिस्से पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाद कारण वादस्थ कृषि भूमि वादीगण के दादा मगा खां की खातेदारी कब्जा काश्त की होने से व प्रथम सैटलमेन्ट के वक्त सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता उजीर खां के स्थान पर वजीरा एवं तत्पश्चात वसीर बिना दस्तावेज का अवलोकन किये त्रुटिवश पेन ऑफ स्लिफ से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से वादकरण उत्पन्न हुआ। वादीगण के पिता उजीर खां एवं माता माडी का इंतकाल हो जाने के पश्चात् वादीगण द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का से दिसम्बर 2020 में सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जानकारी लेने पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में उजीर के स्थान पर वसीर की जानकारी दी। उक्त वसीर दर्ज होने के आधार पर वादीगण को फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करने से इंकार करने पर वादीगण द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की सम्बन्धित विभाग से पुरानी जमाबंदी व अन्य राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23/12/2020 को प्राप्त करने से वाद कारण बमुकाम ग्राम रामासनी सान्दवान में उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश किया है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी सान्दवान तहसील सोजत में स्थित होने एवं वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की कि वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी सान्दवान तह0 सोजत के खाता नंबर 308 के खसरा नंबर 418 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.9200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 421 रकबा 0.7600 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 3.2800 हैक्टर बा0आ0 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वजीरा एवं वसीर के स्थान पर उजीर से रेकर्ड दुरूस्ती करवा कर अपने हक हिस्से की कृषि भूमि में वादीगण अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादीगण सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 दिनांक 07.04.2021 को पेश किया कि वादस्थ कृषि भूमि मौजा खारिया नींव में स्थित होना स्वीकार किया है। वाद–पत्र में वर्णित अन्य पैराज में वर्णित तथ्यों को वादी द्वारा स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने का अंकन किया है। प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादी को आज दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता मय प्रति0 सं0 2 से 4 एवं 7 ने दिनांक 21/02/2022 को ज0दा0 ईकबालिया पेश वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया तथा वादीगण की हस्ब ईश्तदुआ वा0 डिक्री कर खातेदार घोषित करने तथा दुरूस्ती कर वजीरा व वसीर गलत इन्द्राज के स्थान पर सही व वास्तविक नाम उजीर खां दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। प्रति0 सं0 5,6 व 8 को बावजूद तामिली सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21/02/2022 को की गई।

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान मय वकुलाय को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित जमाबन्दी मय

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज.

2073–76, पुराने ख0न0 305 की प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2029–30, वादीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन प्रमाण पत्र, रोजगार कार्ड, परिवार कार्ड, किसान सहकारी कार्ड, दी पाली सैन्ट्रल कॉ0 बैंक, चाड़वास की ऋण पुस्तिका जमाबन्दी, आधार कार्ड पेश किया, सा0 मिसल है, अनुसार वादीगण के पिता का वास्तविक व सही नाम उजीर खां पुत्र मगा खां होना पुख्ता प्रमाणित होता है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा वादी के पिता का गलत रूप से वजीरा एवं वसीर मानवीय/सदभाविक चूँक/भूलवश अंकित कर दिये जाने की पुष्टि होती है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, जबाब दावा सह खतेदारान के आधार पर वादीगण के पिता का नाम उजीर खां वास्तविक रूप से होना बखूबी साबित होता है। लिहाजा उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उजीर खां पुत्र मगा खां दुरूस्त दर्ज किया जाना तथा तत्पश्चात् विधि वारिसान के नामान्तकरण भरा जाना न्यायोचित होने से शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रामासनी सान्दवान तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 308 के खसरा नंबर 418 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.9200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 421 रकबा 0.7600 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 3.2800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का सदभाविक/मानवीय चूँक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम वजीरा एवं वसीर के स्थान पर उजीर खां पुत्र मगा खां दुरूस्त दर्ज किये जाने तथा तत्पश्चात् विधि वारिसानो के नाम नामान्तकरण भरे जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/03/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ०20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. इस्माईल खां
2. इब्राहिम खां
3. बाबु खां पिसरान उजीर खां जातिगण तेली मुसलमान निवासीगण रामासनी सान्दवान तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
2. शिवदतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति चारण निवासी रामासनी सान्दवान हाल निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत
3. रहमती पत्नी सुब्बान खां
4. मोहम्मद खां पुत्र सुब्बान खां जातियान तेली मुसलमान निवासीगण रामासनी सान्दवान तह0 सोजत
5. सदीक खां
6. शकुर खां
7. छैल खां
8. सतार खां पिसरान मिश्रु खां जातियान तेली मुसलमान निवासीगण रामासनी सान्दवान तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एलआरएक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 20/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे तथा प्रतिवादी श्री देवेन्द्रव्यास, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रामासनी सान्दवान तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 308 के खसरा नंबर 418 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.9200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 421 रकबा 0.7600 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 3.2800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का सदभाविक/मानवीय चूंक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम वजीरा एवं वसीर के स्थान पर उजीर खां पुत्र मगा खां दुरूस्त दर्ज किये जाने तथा तत्पश्चात् विधि वारिसानो के नाम नामान्तकरण भरे जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.03.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.